

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

क्रमांक / पीजी / इन्टर्न / 2017

भोपाल, दिनांक / 05 / 2017

— आ दे श —

श्री उदित कुमार जयंत, इंटर्न छात्र द्वारा जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एज्युकेशन एण्ड रिसर्च (JIPMER) पाण्डिचेरी से ग्रामीण क्षेत्र की इंटर्नशिप पूर्ण करने के उपरांत शेष 10 माह की इंटर्नशिप बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर से करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. एमसीआई के मापदण्डों के अनुसार इंटर्नशिप पूर्ण नहीं पाए जाने की स्थिति में इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं तथा संबंधित जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एज्युकेशन एण्ड रिसर्च (JIPMER) पाण्डिचेरी का होगा ।
2. इंटर्नशिप अवधि में इन्टर्न को संस्था प्रमुख द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा तथा नियत की गई फीस जमा करनी होगी ।
3. इंटर्नशिप अवधि में इंटर्न को स्टायपेण्ड की पात्रता नहीं होगी ।
4. संबंधित संस्था (बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर) इंटर्नशिप शैड्यूल अनुसार केवल पोस्टिंग पूर्ण होने का प्रमाण पत्र देगी ।
5. इंटर्नशिप कम्प्लिएशन सर्टिफिकेट जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एज्युकेशन एण्ड रिसर्च (JIPMER) पाण्डिचेरी द्वारा प्रदान किया जावेगा ।
6. एम0सी0आई0 के पत्र दिनांक 06.12.05 के निर्देशानुसार एम0पी0 स्टेट मेडिकल काउन्सिल का प्रोवीजनल रजिस्ट्रेशन की प्रति संबंधित संस्था को प्रस्तुत करनी होगी ।

संयुक्त संचालक

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15/05/2017

पृ0क्रमांक 1573 / पीजी / इन्टर्न / 2017
प्रतिलिपि:-

1. अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर की ओर पत्र क्रमांक 1124 दिनांक 27/02/2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. अधिष्ठाता, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एज्युकेशन एण्ड रिसर्च (JIPMER) पाण्डिचेरी ओर पत्र दिनांक 02/03/2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. श्री उदित कुमार जयंत, इंटर्न छात्र द्वारा जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एज्युकेशन एण्ड रिसर्च (JIPMER) पाण्डिचेरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर 15 दिवस में संचालनालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें ।


15/5

संयुक्त संचालक

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

मध्यप्रदेश